8

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1सी/एफ–615(II)/10/ 590 दिनांक:-25-6-2010

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 18.02.2010 में प्रस्ताव संख्या 13/242 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010 का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर निगम मण्डल द्वारा निर्णय संख्या 14/2010 के द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था।

उक्त क्रम में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सडक परिवहन निगम अधिनियम–1950 की धारा 45(2)(सी) के तहत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक परि/16(7)परि/08 जयपुर दिनांक 17.06.2010 द्वारा निगम मण्डल के उक्त निर्णय पर अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप **राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम–2010** निगम मे तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है।

संलग्न :– विनियम–2010

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1सी/एफ–615(II)/10/ 590 दिनांक:-25-06-2010

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव,अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष––––––––––––––––रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक–––––––––––––––– रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक––––––––––––रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. सचिव निगम,राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त जोनल मैनेजर–––––––––––––रापनि,–––––––––––––
7. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर ।
8. लेखाधिकारी (बजट) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
9. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
10. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला–––––––––––––––
11. समस्त मुख्य प्रबन्धक,रापनि–––––––––––––––––––––आगार ।
12. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

सड़क परिवहन निगम एक्ट की धारा 45 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रा.रा.प.प. निगम मृत निगम कर्मचारियों के आश्रितो की अनुकम्पात्मक आधारो पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्न लिखित विनियम बनाते है अर्थात

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम, 2010

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –**
   1. यह विनियम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 कहलायेगा।
   2. ये विनियम प्रशासनिक आदेश जारी करने की तारीख से प्रभावी होगें।

2. **परिभाषाएं :–** जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमो में :–

   a. "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, निगम द्वारा सुसंगत सेवा नियमो,यदि कोई हो, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियो का प्रयोग एवं कृत्यो का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों।

   b. "मृत निगम कर्मचारी" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगम का कर्मचारी के रूप में नियोजित रहा था जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो –

   (I) स्थायी था, या
   (II) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था,या
   (III) अर्जेण्ट/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्त पद के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में एक वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी।

   परन्तु ठेकेदार/ऐजेन्सी के मार्फत लगे व्यक्ति "मृत निगम कर्मचारी" के अभिप्रेत नही रहेगें।

   c. "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री मृत निगम कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है जो मृत निगम कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतया आश्रित थे।
   d. "निगम" से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है।
   e. "विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसे विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें मृत निगम कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/रही थी।
   f. "राज्य" राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

3. विस्तार :– ये विनियम अनुकम्पात्मक आधार पर, मृत निगम कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद विशेष के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नही करेंगे।

4. **कतिपय शर्तो के अध्ययीन नियुक्ति :–**

1. जब किसी निगम कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्ययीन निगम सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। इन विनियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नही होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री,दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन निगम कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो।

   परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वंय के लिए नियोजन प्राप्त करती है।

2. इन विनियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत निगम कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरणपोषण करेगा तथा लिखित वचनबंध देने पर दी जायेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत निगम कर्मचारी पर आश्रित थे उचित तौर पर भरण पोषण करेगा/करेगी। यदि तत्पश्चात, किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी, क्यो न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये का स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

3. निगम कर्मी की निगम वाहन/डयूटी पर रहते हुये दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के वारिसान द्वारा मृतक कर्मचारी की मृत्यु के कारण आय की क्षतिपूर्ति हेतु निगम के विरूद्ध मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में क्लेम के लिये वाद दायर किये जाने की स्थिति में यदि निगम से क्लेम प्राप्त कर लिया जाता है या क्लेम केस न्यायालय में लम्बित रहता है तो ऐसी स्थिति में मृतक कर्मचारी के आश्रित दुर्घटना क्लेम प्राप्त करने के साथ साथ निगम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति के पात्र नही होगें, निगम कर्मी के दुर्घटना में मृत्यु होने पर यदि उसका आश्रित निगम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति के समय निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करता है तो आश्रित सदस्यों की ओर से आवेदन पत्र के साथ 10/-रू0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगें कि मृतक कर्मचारी के वारिसान द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में दुर्घटना क्लेम-वाद दायर नही किया गया है तथा भविष्य में भी कोई दुर्घटना क्लेम वाद दायर नही किया जायेगा एवं भविष्य में मृतक के किसी भी आश्रित द्वारा निगम के विरूद्ध एम.ए.सी.टी. क्लेम दायर करने पर मैं नियोजक को मेरी सेवा बिना नोटिस दिये समाप्त करने के लिये अपनी सहमति देता/देती हूँ। सेवा समाप्त के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में केस दायर नही करूँगा/करूँगी।

5. पदों का चयन :-

आश्रित की, उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तो की पूर्ति करने पर निगम में पूर्व वेतनमान संख्या 1 से 9 तक के निम्न पदों पर ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

1. सहायक यातायात निरीक्षक
2. संगणक
3. उप भंडार निरीक्षक
4. चालक
5. परिचालक
6. आर्टिजन ग्रेड तृतीय

तथा केवल महिला आश्रित को पात्रता रखने पर परिचालक के समकक्ष कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है ।

1. पद रिक्त होने पर मृत कर्मचारी की रेंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

2. इन विनियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर, इन विनियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मान ली जायेगी और मामले पर किन्ही भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

6. अर्हताए :-

1. आश्रित के पास आवेदन दिनांक को संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हताए होनी चाहिए।
2. किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तो को देखते हुए, वह निगम सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

7. आयु :– आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवानियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए।

   1. किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी(अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी। परन्तु निर्धारित सेवानिवृति से कम हो ।
   2. अन्य के लिए ऊपरी(अधिकतम) आयु सीमा उस कालावधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी।
   3. आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख होगी। एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है।

8. प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि :– प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्क अपेक्षाओं, जैसे,प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नही दिया जायेगा। तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नही कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नही की जायेगी।

   परन्तु इन विनियमों के उपबन्धो के अधीन नियुक्त किसी विधवा को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट दी जायेगी।

   टिप्पणी:– इस विनियम के प्रयोजनार्थ निगम का कार्मिक विभाग अभ्यर्थियो की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा (टेस्ट) आयोजित करेगा।

9. प्रक्रिया :–

   1. किसी निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तर जीवी पति या पत्नी स्वंय को या किसी अन्य आश्रित को नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे।

   2. जहां मृत निगम कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहां मृत निगम कर्मचारी के किसी भी आश्रित द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी। परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो निगम का कार्मिक विभाग संपूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा।

   3. आश्रित के रूप में आवेदन उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्रारूप में मृत निगम कर्मचारी की मृत्यु की तारींख से 90 दिन की कालावधि के भीतर–भीतर कार्यालयध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन के स्तंभ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्त्रोतों से) के समर्थन में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन के समय उक्त मृत कर्मचारी के पति–पत्नी, पुत्र व अविवाहित पुत्री के सभी उक्त सदस्यो का विवरण, शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

   4. सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष जहां मृतक कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय कार्यरत था का यह दायित्व होगा कि वह आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये आवेदन पत्र मय दस्तावेज कार्मिक विभाग, मुख्यालय को प्रेषित करेगें। परन्तु निगम की कर्मचारियों की सेवाभिलेख मुख्यालय में संधारित होने के कारण ऐसा कर्मचारी की मृत्यु की दशा में आवेदन कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

   5. उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेगें, यदि निम्नतर वेतनमान में कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करें। यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्रतीक्षा सूची में नही रखा जायेगा।

   6. राज्य सरकार द्वारा निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर एक ही अधिकारी के पदस्थापन करने पर अध्यक्ष की अनुमति से एवं अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद पर पृथक–पृथक अधिकारियों के पदस्थापन करने पर प्रबंध निदेशक की अनुमति से अनुकम्पा नियुक्तियाँ प्रदान की जायेंगी।

7. आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्तियाँ 2 वर्ष के प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में नियत फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दी जावेगी एवं 2 वर्ष का प्रोवेशनर ट्रेनी कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हे सम्बन्धित पद का नियमित वेतनमान एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें। परन्तु प्रावेशन ट्रेनी अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धियां देय नही होगी ।

8. कार्मिक विभाग में नियुक्ति से पूर्व प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण निम्न कमेटी द्वारा अनुशंषा कर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) को प्रेषित करेगी।

1.	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	संयोजक
2.	प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)	सदस्य
3.	सहायक लेखाधिकारी (नियम)	सदस्य
4.	कार्यकारी प्रबंधक (विधि)	सदस्य

10 **शिथलन** :— विलम्ब से आवेदन के लिये अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा विशेष कारणो से 3 वर्ष विलम्ब तक शिथलन देने के लिए सक्षम होगें।

11 **अध्यारोही प्रभाव** :— इन विनियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्ही नियमों, विनियमों या आदेशों मे अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये विनियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई आदेश प्रभाव में रहेगें।

12 **निरसन एवं व्यावृति** :— विद्यमान में निगम में सेवा काल के दौरान मृत निगम कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित समस्त दिशा—निर्देश को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। परन्तु इस प्रकार निरसित/अतिष्ठित किये गये नियमों और आदेशो के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जावेगी ।

13 कार्मिक विभाग द्वारा उक्त विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक दिशा—निर्देश/मार्ग—दर्शन जारी कर सकता है । विनियमों के प्रावधान के विपरित कोई भी दिशा—निर्देश/मार्ग दर्शन जारी करने के लिये कार्मिक विभाग सक्षम नही होगा । आवश्यकता होने पर प्रकरण निगम मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन के पश्चात शंकाओ का निराकरण किया जा सकता है ।

संलग्नः – आवेदन पत्र का प्रारूप
उपाबन्ध "क"

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक